

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी जनपद- देवरिया।

पत्रसंख्या- यूपीएफएस/2018/993/डिआर/देवरिया/5/सीएफओ

दिनांक- जनवरी 31, 2022

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य
रामदश नन्द लाल चौधरी पब्लिक स्कूल
पटखौली (पटमरी), रुद्रपुर, जनपद- देवरिया।

विषय:- रामदश नन्द लाल चौधरी पब्लिक स्कूल पटखौली (पटमरी), रुद्रपुर, जनपद-देवरिया के स्कूल/भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं का अग्नि/जीवरक्षा सुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण कराकर अग्निशमन सुरक्षा प्रमाण-पत्र (नवीनीकरण) निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में-

सन्दर्भ :- आपके पत्र संख्या-शून्य दिनांक:- 29.01.2022
कृपया अपरोक्त विषयक के सन्दर्भ में रामदश नन्द लाल चौधरी पब्लिक स्कूल पटखौली (पटमरी), रुद्रपुर, जनपद- देवरिया में अग्नि/जीवरक्षा सुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया जिसका विवरण निम्नवत है :-

1. पहुँच मार्ग- उक्त स्कूल भवन तक अग्निशमन के वाहन आवागमन करने हेतु अग्निशमन कार्य कर सकते हैं।
2. स्वचालित स्प्रिंकलर पद्धति वांछित नहीं है।
3. अग्निशमन कार्य हेतु पानी की स्थाई भूमिगत/टेरिस टैंक क्षमता 5,000 ली० तथा टेरिस पम्प 450 एल०पी०एम० का वांछित नहीं है।
4. फर्स्ट एण्ड होजरील प्रत्येक तल पर जो टेरिस टैंक से डाउन कमर से जुड़ा हो वांछित नहीं है।
5. भारतीय मानक संस्थान की प्रमाणिकरण चिन्हयुक्त 12 अदद प्राथमिक अग्निशामक उपकरण स्थापित किया गया है, जिसका टेस्टिंग फीस भारतीय स्टेट बैंक, राघव नगर देवरिया में दिनांक 31.01.2022 को जमा कराया गया है, जो कार्यशील दशा में है।
6. कम्पार्टमेंशन वांछित नहीं है।
7. स्वचालित अग्नि सूचक एवं चेतावनी पद्धति वांछित नहीं है।
8. निकास मार्ग के प्रदिप्त संकेत चिन्ह पाये गये।
9. विद्युत आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत के अंतर्गत जनरेटर सेट लगाया पाया गया।
10. सम्पूर्ण स्कूल/भवन में पी०ए० सिस्टम स्थापित किया गया है, जो कार्यशील दशा में है।
11. निकास की आवश्यकताएँ एवं अग्नि से बचाव के मार्ग की व्यवस्था संतोष जनक पाई गई।
12. स्कूल/भवन में स्टेयर केस स्थापित किया गया है।
13. विद्यालय में उपस्थित कर्मचारियों को प्राथमिक अग्निशमन उपकरण संचालित करने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

अतः उपरोक्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील बनाये रखने तथा एन०बी०सी० 2005 तथा मानक संख्या 2190:1992 तथा उ०प्र० अग्निनिवारण व अग्निसुरक्षा नियमावली 2005 के नियम 4 में दिये गये निर्देशों का पालन करना तथा अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर प्रत्येक वर्ष सम्बन्धित प्रबंधक/व्यवस्थापक का उत्तरदायित्व होगा कि समय से नवीनीकरण कराने की शर्त पर अग्निशमन/जीवरक्षा व्यवस्था का अग्निशमन सुरक्षा प्रमाण-पत्र (नवीनीकरण) जारी किया जाता है, जो निर्गत तिथि से एक (01) वर्ष तक वैध माना जायेगा। अग्निशमन व्यवस्था अकार्यशील होने की दशा में यह प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

PRINCIPAL

Ramdaras Nandlal Chaudhary Public School
Patkhauli (Patamari), Rudrapur

MANAGER

Ramdaras Nandlal Chaudhary Public School
Patkhauli (Patamari), Rudrapur

(अजय कुमार चौधरी)

अग्निशमन अधिकारी
जनपद- देवरिया